<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>18.04.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भूमि घोटाले के एक मामले में चल रही जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया तथा चार आरोपी व्यक्तियों प्रिया रंजन सहाय, इरशाद अख्तर, अंतु तिर्की व बिपिन सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, अफसर अली नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके प्रोडक्शन वारंट के आधार पर विशेष पीएमएलए न्यायालय में पेश करने के बाद हिरासत में ले लिया गया है। माननीय पीएमएलए न्यायालय ने उक्त व्यक्ति को दिनांक 22.04.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में, एक अन्य आरोपी मोहम्मद सद्दाम हुसैन पहले से ही दिनांक 20.04.2024 तक ईडी की हिरासत में है। इन सभी 6 लोगों को भूमि अभिलेखों की जालसाजी, छेड़छाड़ व निर्माण में उनकी भूमिका के लिए अतऐव ऐसी भूमि की प्रकृति को बदलना जिसे छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम (सीएनटी अधिनियम), एक कानून जिसका उद्देश्य आदिवासी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना है के तहत गैर-बिक्री योग्य के रूप में नामित किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान रांची और कोलकाता स्थित भू-राजस्व विभाग के सरकारी अधिकारियों की सक्रिय संलिप्तता भी सामने आयी है। जांच से पता चला कि उपरोक्त आरोपियों द्वारा इस तरह की हेराफेरी और जालसाजी के माध्यम से अर्जित कुछ भूमि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अवैध कब्जे में हैं।

इससे पूर्व उपर्युक्त मामले में, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और राजस्व अधिकारी और मूल सरकारी रिकॉर्ड के संरक्षक भानु प्रताप प्रसाद को बरियातू, रांची स्थित 8.8 एकड़ की अचल संपत्ति के रूप में अपराध की आय प्राप्त करने, रखने और छिपाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उक्त संपत्ति के गैरकानूनी अधिग्रहण और कब्जे में हेमंत सोरेन की सहायता करने और उकसाने में उनकी भूमिका के लिए उनके और चार अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 30.03.2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। ईडी ने उक्त संपत्ति जिसकी कीमत 31 करोड़ रुपये (सरकारी मूल्य) को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इसके बाद, सद्दाम हुसैन को भूमि अभिलेखों की जालसाजी और हेराफेरी में शामिल होने के आरोप में दिनांक 09.04.2024 को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने झारखंड पुलिस और कोलकाता पुलिस द्वारा सरकारी अधिकारियों सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर समान कार्यप्रणाली के साथ भूमि घोटाले के पांच मामलों में धन-शोधन जांच शुरू की है । जांच में पता चला कि झारखंड में भू-माफियाओं का एक रैकेट सक्रिय है जो रांची और कोलकाता में जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने में संलिप्त है। भूमि संपत्तियों के गैरकानूनी अधिग्रहण/कब्ज़ा/उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वामित्व के मूल भूमि रिकॉर्ड से या तो छेड़छाड़ की जाती है या छुपाया जाता है। इसके बाद, जाली भूमि अभिलेखों के आधार पर, ऐसे भूमि पार्सल अन्य व्यक्तियों को बेच दिए जाते हैं। ईडी ने पहले ऐसे मामलों में 51 तलाशी व 9 सर्वेक्षण किए थे तथा अपराध-सांकेतिक सबूतों जैसे कि भू-राजस्व विभाग की जाली मुहरें, जाली भूमि दस्तावेज, उनके बीच अपराध की आय के वितरण के रिकॉर्ड, जालसाजी करते हुए तस्वीरें, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के सबूत आदि को जब्त कर लिया था। तलाशी के परिणामस्वरूप 1.25 करोड़ रुपये (लगभग)

नकदी की बरामदगी और जब्ती हुई और बैंक खातों में 3.56 करोड़ रुपये के बैलेंस को और जब्त कर लिया गया है। भूमि घोटाले के मामलों में, ईडी ने 266 करोड़ रुपये (वाणिज्यिक मूल्य) के दागी भूमि पार्सल को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इसके अलावा, अब तक, हेमंत सोरेन, छवि रंजन, आईएएस (पूर्व डीसी, रांची), भानु प्रताप प्रसाद (राजस्व उप-निरीक्षक), अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 22 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और भूमि घोटाले के मामलों में जारी जांच के तहत ईडी द्वारा तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं। भूमि घोटाले सहित जांच के निष्कर्षों को पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत किए गए 14 संदर्भों के माध्यम से समय-समय पर झारखंड सरकार के साथ साझा किया जा रहा है।

आगे की जांच जारी है।

******